न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 24/2022 (अपील)
GCMS No. 2022/60

अनवान

1. श्रीमती अमृतलाल कलाल पिता श्री दलजी कलाल निवासी–ग्राम सड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. पटवारी, पटवार हल्का फलासिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर।
2. श्री प्रकाश पिता भंवरलाल मेघवाल, निवासी ग्राम फलासिया, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. थानाधिकारी, थाना फलासिया, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री राजेश जाजोदिया, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री मनीष शर्मा , अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 ।
3. राजपैरोकार ।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध तहसीलदार झाडोल के प्र.स. 1/21(धारा 183बी रा.का.अ.) दि.30.08.2022

* निर्णय *

दिनांक– 31.07.2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय स्थगन प्रार्थना पत्र के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा कार्यालय तहसीलदार झाडोल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फलासिया में उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1118 एवं 1121 में स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसके परिवार के सदस्यों के नाम 1/3 हिस्सा प्रत्येक दर्ज रिकार्ड है। जिसमें 1600 वर्गफीट पर उनका मकान केलुपोश है, जिस पर अपीलाण्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है जिसे हटाया जावे। पटवारी द्वारा पेश पर्चा मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दौराने विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की साक्ष्य रिकोर्ड पर ली गई जिसमें अपीलाण्ट ने विवादित भूमि के आवासीय रूपान्तरण का दस्तावेज असल पंजीकृत विक्रय पत्र एवं ग्राम पंचायत फलासिया द्वारा जारी किया गया पंजीकृत पट्टा व उसकी पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत की उक्त पत्रावली रिकोर्ड पर लेने के बावजूद विधि सम्मत विवेचन नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

कर राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित स्थिति के विपरित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की गम्भीर चूक करते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया व आबादी भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन होना मानने के बावजूद विचारण करते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही हेतु ग्राम फलासिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तहरीर जारी करते हुए अपीलाण्ट को अतिचारी मानते हुए बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त अपील आलौच्य आदेश दिनांक 30.08.2022 को अपास्त कराए जाने हेतु निम्नांकित आधार पर पेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत शिकायत उसके केलुपोश मकान पर अतिक्रमण कर निर्माण कराये जाने की थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश मौका पर्चा रिपोर्ट में पूर्व निर्मित मकान के स्वामी अपीलाण्ट द्वारा मकान के उपर नया निर्माण कराए जाने का कथन है। स्पष्ट रूप से रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश शिकायत मिथ्या आक्षेप पर आधारीत थी कि उसके केलुपोश मकान पर अतिचार किया जा रहा है, रिकार्ड पर उपलब्ध इस दस्तावेजी साक्ष्य को तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो के विपरीत विलोपित कर प्रकरण का विचारण किया है, जो स्वतः प्रथम दृष्टया ही दूषित होने से सम्पूर्ण विचारण दूषित होकर खारिज किये जाने योग्य है। पिठासीन अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2021 को राजस्व रिकार्ड से सत्यापन किये बिना अपीलाण्ट को अतिकमी मानते हुए सूचना पत्र जारी कर विधि की गम्भीर चूक व त्रुटि कारित की है। विवादित पर्चा मौका रिपोर्ट जो प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु आधार मानी गई है उक्त रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा किये गये कथनो का उल्लेख है किन्तु उस पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 जो उत्तरदायी अधिकारी है उनका दायित्व था कि वे निष्पक्ष जांच रिपोर्ट बनाते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने दायित्व में चूक कारित कर राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 1118 व 1121 ग्राम फलासिया की 0.0600 है. भूमि आबादी दर्ज होने का तथ्य विलोपित कर केवल कृषि भूमि के संबंध में उल्लेख कर रिपोर्ट पेश कर दी जिससे विधिक पैचिदगी उत्पन्न हो गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित की गई चूक इस तथ्य से भी प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पेश की गई पर्चा मौका रिपोर्ट में 1600 वर्गफीट भूमि पर बने मकान का स्वामी अपीलाण्ट को मानते हुए रिपोर्ट पेश की गई है। इन तथ्यों को आदेश में संकलित करने के बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विधिक स्थिति व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आबादी दर्ज भूमि पर लगभग 35 वर्ष से निवासरत अपीलाण्ट को अतिचारी घोषित करते हुए विधि ब्राहय आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि आबादी भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना वर्जित है इस आधार पर प्रकरण को प्रारम्भिक स्तर पर ही निस्तारित कर देते। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आबादी भूमि को कृषि भूमि मानकर विचारण प्रारम्भ कर दिया गया जिसके संबंध में अपीलाण्ट की ओर से भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

रूपान्तरण आदेश संबन्धी दस्तावेज व विक्रय पत्र की प्रतियां पेश कर विचारण व क्षेत्राधिकार को प्रश्नगत किया गया उक्त दस्तावेज को भी विचारण में सम्मिलित किया जाकर यह अंकन किया गया कि अपीलाण्ट साक्ष्य से निर्दोषिता सिद्ध करने में असफल रहा है चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आबादी भूमि राजस्व ग्राम फलासिया की आराजी संख्या 1121 व 1118 में किस स्थान पर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उपधारणा कायम करने में भी गम्भीर चूक कारित की गई है, चूंकि राजस्व रिकोर्ड में स्वतः अंकन है कि उपरोक्त आराजीयात में आबादी भूमि दर्ज है अपीलाण्ट द्वारा पेश भूमि रूपान्तरण दस्तावेज में भी उन्ही खसरो का उल्लेख है व भूमि के आवासीय रूपान्तरण की तफ्सील अंकित है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकनार्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पंजीकृत आवासीय पट्टा व विक्रय पत्र दिनांक 19.05.1955 एवं विद्युत बिलों की मूल प्रतियां भी विचारण मे पेश की जिन्हे विद्धान पीठासीन अधिकारी द्वारा " कथित पंजीयन विलेख " अंकित करते हुए स्वयं के समकक्ष अधिकारी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज की सत्यता को भी प्रश्नगत कर दिया। उपरोक्त तथ्य से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय हेतु आवश्यक विद्वता व न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना आलौच्य आदेश पारित कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तीन पर्चा मौका रिपोर्ट पेश की गई है, सभी में भूमि आबादी खसरा संख्या 1118 में 0.02 है. व खसरा संख्या 1121 में 0.04 है. दर्ज होना तथा 0.06 है. आबादी भूमि में से 1600 वर्गफीट पर अपीलाण्ट का मकान बना होना अंकन किया गया है। अपीलाण्ट के पक्ष में विक्रय पत्र कार्यालय व कार्यालय उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत किया गया है। जिसके पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा पंजीकृत कराया गया है। पंजीकृत पट्टे की कलम संख्या 1 में पटवारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख है, जिसमें मकान आबादी में होना अंकित है। पट्टे की पुष्ठ पर आवासीय भूखण्ड का नक्शा मय नाप व पडौस अंकित है। जिसका निष्पादन व पंजीयन विधि के सम्यक अनुकम में किया गया है। इन सभी ठोस साक्ष्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि का अवलोकन किये बिना आबादी पट्टेशुदा पंजीकृत विलेख से कय की गई आवासीय संपरिवर्तित भूमि पर धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होना मानकर आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपील में उल्लेखित आदेश दिनांक 30.08.2022 को अपास्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पेश की गई मिथ्या रिपोर्ट पेश करने से रेस्पोडेन्ट स्मरण संख्या 2 के विरूद्ध आवश्यक आदेश पारित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की जावे व दण्डात्मक कार्यवाही संस्थित कराये जाने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में की गई चूक हेतु उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आदेशित फरमाई जावे। अन्य कोई दाद या उचित अनुतोष जो अपीलाण्ट के हित में हो दिलाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि संपरिवर्तित भूमि है, आ.न. 1118, 1121 पर मकान बना रखा है पट्टे की रजिस्टर्ड कॉपी है। मेरा मकान आबादी में हैं धारा 183 में गलत ट्रेसपासर माना है। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि पटवारी ने पर्चा मौका बनाया , भूमि मेरी खातेदारी है। मेरी खातेदारी की भूमि में मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। 183 बी में निर्णय किया है कि कभी भी अनुसूचित जाति की जमीन पर सामान्य व्यक्ति के अधिकार नहीं बनते है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई कर निर्णय पारित किया है। पटवारी के पर्चे मौके पर आपत्ति थी तो दुबारा बनवा सकते थे। अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 3 द्वारा प्रकरण को मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा फलासिया की आ.न. 1118 एवं 1121 किस्म आबादी एवं भुरी दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का अतिक्रमण आ.न. 1121 किस्म भूमि में मानकर अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया। जिससे रूष्ठ होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट द्वारा पंजीकृत पट्टा होना बताया उसीके तहत मौके पर मकान बनाकर रह रहा है। चूंकि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किये बगैर निर्णय पारित कर दिया है। अपीलाण्ट के पक्ष में पट्टा जारी होने का तर्क दिया है। चूंकि राजस्व रेकार्ड में आराजीयात किस्म आबादी अंकित है। अतः भूमि आबादी अंकित होने से अधिनस्थ न्यायालय को आबादी भूमि में धारा 183बी के तहत निर्णय पारित करने की अधिकारिता नहीं थी, अतः किये गये निर्णय में विधिक त्रृटि पायी जाती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार की जाकर तहसीलदार झाडोल का प्र.स. 1/21 निर्णय दिनांक 30.08.2022 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)